पुनर्चक्रण में सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश

दिसंबर 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने इसे अपनाया।पुनर्चक्रण में उचित कार्य को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशयह दिशानिर्देश मई 2025 में आयोजित विशेषज्ञों की बैठक के दौरान सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत के बाद तैयार किए गए थे। इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स (IAWP) ने इन वार्ताओं में भाग लिया और WIEGO के साथ मिलकर इस दस्तावेज़ को तैयार किया, जिसमें दिशानिर्देशों में कचरा बीनने वालों के लिए महत्वपूर्ण अनुभागों और विषयों की रूपरेखा दी गई है।

1. निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके कचरा बीनने वालों के संदर्भों का मानचित्रण करना:
   - मेंअपशिष्ट चुनने वाले
   - आरपुनर्चक्रण कार्यकर्ता
   - मैंअनौपचारिक अर्थव्यवस्था / अनौपचारिक श्रमिक
   - अनौपचारिक पुनर्चक्रण कार्यकर्ता
   - एमवार्षिक कचरा-चुनना
   - सीसहकारी समितियाँ / सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था (जब स्पष्ट रूप से कचरा बीनने वालों का जिक्र हो)

प्रत्यक्ष उद्धरण	वह श्रेणी जो कचरा बीनने वालों का संदर्भ देती है	पूरक विश्लेषण
अनुच्छेद 6 आज पुनर्चक्रण में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विषम और विविधतापूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें शामिल हैं:हाथ से कचरा बीननाअपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण से लेकर दवा उद्योग में डिजिटल रूप से सक्षम औद्योगिक सहजीवन तक।"	हाथ से कचरा बीनने का स्पष्ट उल्लेख।	यह अपशिष्ट संग्रहण को पुनर्चक्रण कार्य के एक अभिन्न और वैध रूप के रूप में स्थापित करता है, न कि अवशिष्ट या हाशिए की गतिविधि के रूप में। यह संस्था अनौपचारिक, हस्तलिखित पुनर्चक्रण को स्वयं इस क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत रखती है।

अनुच्छेद 8 “यद्यपि पुनर्चक्रण पर्यावरणीय उद्देश्यों में योगदान दे सकता है, कुछ पुनर्चक्रण गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती हैं, और पुनर्चक्रण में लगे कई उद्यम और कर्मचारी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वातावरण में काम करते हैं।”संरचनात्मक अनौपचारिकता की स्थितियाँअक्सर खराब कामकाजी परिस्थितियों में काम करने के कारण वे अपनी पूरी क्षमता और हरित और सम्मानजनक नौकरियों की आकांक्षाओं को साकार करने में असमर्थ होते हैं।"	संरचनात्मक अनौपचारिकता की स्थितियों में पुनर्चक्रण कार्यकर्ता।	अनौपचारिकता का स्पष्ट निदान एक संरचनात्मक स्थिति के रूप में किया गया है, न कि व्यक्तिगत विफलता के रूप में। कचरा बीनने वालों और अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं से सीधे संपर्क करें।
अनुच्छेद 10- “सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जिसमें कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की सुरक्षा और प्राप्ति शामिल है, यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि पुनर्चक्रण गतिविधियों और कार्यों में शामिल श्रमिक अपने अधिकारों का अनुसरण कर सकें।आजीविकाऔर वे समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा की स्थितियों में अपना काम कर सकें।"		
अनुच्छेद 12 "ये दिशानिर्देश सभी पुनर्चक्रण कार्यों पर लागू होने के लिए हैं, चाहे वे सार्वजनिक रूप से संचालित हों या निजी तौर पर, औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर।"	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (स्पष्ट)।	किसी भी तरह की अस्पष्टता दूर हो जाती है: अनौपचारिक पुनर्चक्रण कार्य पूरी तरह से दिशानिर्देशों के दायरे में आता है।

अनुच्छेद 13 “यद्यपि पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखलाओं में अनौपचारिक और औपचारिक पुनर्चक्रण गतिविधियाँ सह-अस्तित्व में हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं, फिर भी इन नीतिगत दिशा-निर्देशों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पुनर्चक्रण उद्यमों और श्रमिकों पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। इसका कारण न केवल उनकी बड़ी संख्या है, बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी है कि कोई भी पीछे न छूटे।”	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिक (स्पष्ट प्राथमिकता)	यह पूरे दस्तावेज़ में कचरा बीनने वालों के लिए सबसे मजबूत राजनीतिक आधार है। यह तटस्थ समावेशन के बजाय सकारात्मक प्राथमिकता स्थापित करता है।
अनुच्छेद 15 “ये नीतिगत दिशानिर्देश निम्नलिखित के उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं: “…पुनर्चक्रण कार्यकर्ता और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संगठन; सहकारी समितियों और पुनर्चक्रण श्रमिकों के अन्य संगठनों सहित सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाएं..."	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता सहकारी समितियाँ / एसएसई (स्पष्ट, श्रमिक-संबंधी)	यह स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों और एसएसई संस्थाओं को केवल उद्यमों के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्चक्रण श्रमिकों के संगठनों के रूप में मान्यता देता है। इसमें कचरा बीनने वालों की सहकारी समितियों और संघों को सीधे तौर पर शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 16(क) सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को अपनाएं, उन्हें क्रमिक रूप से लागू करें और उनका पालन सुनिश्चित करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत और अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन (आईएलओ) द्वारा अनुमोदित सम्मेलन और प्रोटोकॉल पुनर्चक्रण में लगे सभी	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (सार्वभौमिक)।	यह स्थापित करता है कि रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना, सभी पुनर्चक्रण कार्यकर्ता अधिकार धारक हैं। इसमें अनौपचारिक कामगार और कचरा बीनने वाले भी शामिल हैं।

श्रमिकों की रक्षा करें और उन पर लागू हों।..."		
अनुच्छेद 67 “अनौपचारिकता कानून के प्रवर्तन, टिकाऊ, उत्पादक और कुशल उद्यमों के विकास, कचरा बीनने वालों और अन्य अनौपचारिक श्रमिकों की आजीविका और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है।”,और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की प्राप्ति औरसभी के लिए सामाजिक सुरक्षा।"	कचरा बीनने वाले (स्पष्ट) अनौपचारिक श्रमिक (स्पष्ट)	कचरा बीनने वालों को एक विशिष्ट उपसमूह के रूप में पुष्टि करता है अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रमिकों के भीतर औपचारिकरण की स्थापित आवश्यकता, जिसमें सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है।
अनुच्छेद 67 (जारी) "महिलाएं, युवा, प्रवासी और श्रम बाजार में वंचित श्रेणी के अन्य श्रमिक अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रमिकों में अधिक संख्या में मौजूद हैं।"।	अनौपचारिक पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (स्पष्ट)।	कचरा बीनने वालों के लिए लिंग और समावेश के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का समर्थन करता है। भेद्यता-आधारित प्राथमिकीकरण को सुदृढ़ करता है।
अनुच्छेद 122 "अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पुनर्चक्रण की एक सामान्य विशेषता यह है कि संबंधित श्रमिकों और उस नियोक्ता के बीच प्रत्यक्ष रोजगार संबंध का अभाव होता है जिसके लिए वे काम करते हैं।"	अनौपचारिक पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (अप्रत्यक्ष)।	यह अधिकांश कचरा बीनने वालों की रोजगार संबंधी वास्तविकता का सटीक वर्णन करता है। ऐसा संदर्भ तैयार करता है या सुझाता है जिसे अनुकूलित सुरक्षा और विनियमन की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 126 “पुनर्चक्रण श्रमिकों के लिए, कुछ मूल्य श्रृंखलाओं में पुनर्चक्रण कार्य की अनियमितता, कम आय या नौकरी की आवश्यकताओं जैसे कारकों के कारण काम के घंटे अत्यधिक हो सकते हैं। कुछ कचरा बीनने वाले रात में भी काम करते हैं।, जबकि कई लोग अकेले और एकांत में काम करते हैं।"	कचरा बीनने वाले (स्पष्ट)	कचरा बीनने वालों की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों की प्रत्यक्ष पहचान। बाद में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, काम के घंटे और सुरक्षा संबंधी प्रावधान जोड़े गए।

2. मानचित्रण अनुभाग: सहकारी समितियाँ और सामाजिक एवं एकजुटता अर्थव्यवस्था		
अनुच्छेद 44 सहकारी समितियाँ और अन्य सामाजिक एवं एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाएँ सम्मानजनक काम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कई देशों में पुनर्चक्रण श्रमिकों की जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार किया है, विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सम्मानजनक काम की सबसे गंभीर कमी से ग्रस्त लोगों के लिए। सामाजिक एवं एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाएँ मूल्यों के एक ऐसे समूह को व्यवहार में लाती हैं जो उनके कामकाज का अभिन्न अंग हैं और लोगों और ग्रह की देखभाल, समानता और निष्पक्षता, परस्पर निर्भरता, स्वशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही तथा सम्मानजनक काम और आजीविका की प्राप्ति के अनुरूप हैं।	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सहकारी समितियाँ / एसएसई (स्पष्ट)	यह सीधे तौर पर स्वीकार करता है कि: 1) सहकारी समितियाँ जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार करती हैं; 2) उनका प्रभाव अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कमजोर श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह अनुच्छेद संगठित कचरा बीनने वालों की सहकारी समितियों को स्पष्ट रूप से शामिल करता है।

अनुच्छेद 47(सी) “सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके यह करना चाहिए: … (ग) राष्ट्रीय कानून और प्रथा के अनुसार तथा अन्य प्रकार के उद्यमों को दी जाने वाली शर्तों से कम अनुकूल शर्तों पर सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था पुनर्चक्रण संस्थाओं के साथ व्यवहार करके एक समान अवसर सुनिश्चित करना।	सहकारी समितियाँ / एसएसई पुनर्चक्रण संस्थाएँ (स्पष्ट)	यह स्वीकार किया जाता है कि पुनर्चक्रण में शामिल एसएसई संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह विधेयक स्पष्ट रूप से अपशिष्ट बीनने वाले सहकारी समितियों को निम्नलिखित से बचाता है: 1) अनन्य निजीकरण, 2) नियामक पूर्वाग्रह, 3) असमान बोली।
अनुच्छेद 48(सी) नियोक्ता संगठनों को चाहिए कि: (ग) सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाओं को उन व्यावसायिक नेटवर्कों और भागीदारों तक पहुंच सुगम बनाने पर विचार करें जो उनके विकास में योगदान दे सकते हैं, उनकी व्यावसायिक क्षमता, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों और संस्थागत वित्तपोषण तक उनकी पहुंच को सुगम बना सकते हैं।"	पुनर्चक्रण (अप्रत्यक्ष) के संदर्भ में सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाएँ (स्पष्ट), जिनमें एसएसई (अप्रत्यक्ष) के भीतर निर्मित अपशिष्ट संग्रहण संगठन शामिल हैं।	यह नीति सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाओं (जिसमें कचरा बीनने वालों की सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं) द्वारा बाज़ार, पूंजी और नेटवर्क तक पहुँच के संदर्भ में सामना की जाने वाली संरचनात्मक बाधाओं को पहचानती है। इससे विशिष्ट सहायता नीतियों की आवश्यकता को वैधता मिलती है।

अनुच्छेद 152 (एफ) “सरकारों को चाहिए कि: (…) (f) सिफारिश संख्या 193 में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप, सहकारी समितियों और अन्य सामाजिक एवं एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाओं के गठन और संचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में समान अवसर प्रदान करके उनकी स्थापना एवं विकास को बढ़ावा देना। विभिन्न पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखलाओं और कार्यों में उद्यमियों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को सामाजिक एवं एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाओं और अन्य सदस्यता-आधारित संगठनों, जिनमें महिला एवं युवा नेतृत्व वाले संगठन और नेटवर्क शामिल हैं, जैसे औपचारिक संघों में संगठित होने के लिए सशक्त बनाना, औद्योगिक संबंधों में प्रभावी ढंग से संलग्न होने तथा बेहतर उत्पादकता, कार्य परिस्थितियों और सम्मानजनक कार्य में योगदान करने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकता है।	सहकारी समितियाँ / एसएसई संस्थाएँ / औपचारिक संघ / अन्य सदस्य पोत-आधारित संगठन (स्पष्ट) पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (अप्रत्यक्ष, सशक्त) अनौपचारिक श्रमिक (अप्रत्यक्ष रूप से)	यह स्पष्ट रूप से सामूहिक संगठन को एक साधन के रूप में मान्यता देता है: 1) कार्य स्थितियों में सुधार करना, 2) श्रम संबंधों में भाग लेना, 3) उत्पादकता को मजबूत करना। यह स्पष्ट रूप से ऐसे नियामक ढांचों की आवश्यकता को स्वीकार करता है जो "संगठन" के लिए अनुकूल हों और उसे बढ़ावा दें, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थाओं में और युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए।

अनुच्छेद 23(i) सरकारों को चाहिए कि: (i) अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण में अच्छे रोजगार के अवसरों को अनुकूलित करने के लिए सार्वजनिक खरीद का लाभ उठाना, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यमों और सहकारी समितियों तथा अन्य सामाजिक और एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाओं को निविदा प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है..."	लघु एवं मध्यम उद्यम, सहकारी समितियाँ और अन्य सामाजिक एवं एकजुटता अर्थव्यवस्था संस्थाएँ (स्पष्ट)	समावेशी सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाता है। नगरपालिका पुनर्चक्रण प्रणालियों में कचरा बीनने वालों की सहकारी समितियों को शामिल करने का प्रत्यक्ष आधार। इसमें विशेष रूप से ऐसे नियामक ढाँचों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है जो "संगठन" के लिए अनुकूल हों और उसे बढ़ावा दें, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएसई) संस्थाओं में। इसमें सार्वजनिक "निविदा और अनुबंध" का मार्ग सुझाया गया है।

3. मैपिंग अनुभाग: औपचारिकीकरण		
अनुच्छेद 65 "औपचारिकीकरण का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों और आर्थिक इकाइयों - जिनमें उद्यम, उद्यमी और परिवार शामिल हैं - द्वारा की जाने वाली सभी आर्थिक गतिविधियां, कानून और व्यवहार में, औपचारिक व्यवस्थाओं द्वारा पर्याप्त रूप से कवर की गई हों।"	श्रमिक (सामान्य) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (अप्रत्यक्ष रूप से)	इसमें स्पष्ट रूप से परिवार और उद्यमी शामिल हैं, ऐसी श्रेणियां जिनमें स्वरोजगार करने वाले कचरा बीनने वाले भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 66 “पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य चक्रों में अनौपचारिक रोजगार का स्तर काफी ऊंचा है, खासकर कम आय वाले देशों के शहरों और आसपास के क्षेत्रों में। कम सार्वजनिक व्यय, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं का अपर्याप्त प्रावधान और इन तक सीमित पहुंच, उद्यमों की कम उत्पादकता और अनुपालन संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ अनौपचारिकता के प्रमुख कारक हैं। शिक्षा का निम्न स्तर, भेदभाव, गरीबी, आर्थिक संसाधनों, वित्त और संपत्ति तक पहुंच की कमी और संगठन का निम्न स्तर जैसे सूक्ष्म स्तर के कारक भी श्रमिकों को अनौपचारिक काम की ओर ले जा सकते हैं।”	अनौपचारिक रोजगार पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (अप्रत्यक्ष रूप से)	यह अनौपचारिकता को क्षेत्र की एक संरचनात्मक विशेषता के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि एक अपवाद के रूप में। इसमें अनौपचारिक शहरी पुनर्चक्रण की विशिष्ट स्थितियों का वर्णन किया गया है, जहां कचरा बीनने वाले लोग स्थित होते हैं। अनौपचारिकता पर काबू पाने के लिए संगठित होने के महत्व पर जोर देता है।
अनुच्छेद 67 “अनौपचारिकता कानून के प्रवर्तन, टिकाऊ, उत्पादक और कुशल उद्यमों के विकास, कचरा बीनने वालों और अन्य अनौपचारिक श्रमिकों की आजीविका और कार्य स्थितियों में सुधार, और उनके कार्यस्थल के अधिकारों और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। महिलाएं, युवा, प्रवासी और श्रम बाजार में वंचित अन्य श्रेणियों के श्रमिक अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रमिकों में अधिक संख्या में मौजूद हैं।”	कचरा बीनने वाले (स्पष्ट) अनौपचारिक श्रमिक अनौपचारिक पुनर्चक्रण कार्यकर्ता	इसमें स्पष्ट रूप से कचरा बीनने वालों को 1) अनौपचारिकता से प्रभावित व्यक्तियों, 2) श्रम और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के धारकों के रूप में मान्यता दी गई है। 3) यह अनौपचारिकता को संरचनात्मक असमानता से जोड़ता है।

अनुच्छेद 67 (जारी) "एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोणों के माध्यम से पुनर्चक्रण को औपचारिक रूप देना, सभी के लिए पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में समावेशी और न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करने और सम्मानजनक रोजगार सृजन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (अप्रत्यक्ष रूप से) कचरा बीनने वाले (अप्रत्यक्ष रूप से)	औपचारिकीकरण को न्यायसंगत परिवर्तन की शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, न कि किसी दंड के रूप में। इसका तात्पर्य यह है कि पारिस्थितिक परिवर्तन में कचरा बीनने वालों को शामिल किया जाना चाहिए, न कि उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए।
पृष्ठ 50 – अनुच्छेद 68(क–ख) “सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके निम्नलिखित कार्य करने चाहिए: (क) अनौपचारिकता की विशेषताओं और चालकों का गहन मूल्यांकन करना, जिसमें कार्यबल और आर्थिक इकाइयों पर आंकड़े एकत्र करना, कानूनी और नीतिगत ढांचे और प्रथाओं की समीक्षा करना और पुनर्चक्रण में सभ्य कार्य की कमियों पर विचार करना शामिल है; (ख) पुनर्चक्रण में औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण को सुगम बनाने के लिए एक एकीकृत नीतिगत ढांचा विकसित और कार्यान्वित करना तथा रणनीतियाँ और प्रोत्साहन स्थापित करना, … जिसमें विभिन्न हितधारकों की विविधता को ध्यान में रखा जाए और अनौपचारिकता के संदर्भ-विशिष्ट कारकों के अनुरूप बनाया जाए।	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (अप्रत्यक्ष रूप से)	औपचारिकीकरण को एक न्यायसंगत परिवर्तन की शर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, न कि दंड के रूप में। इसका तात्पर्य यह है कि पारिस्थितिक परिवर्तन में कचरा बीनने वालों को शामिल किया जाना चाहिए, न कि उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 68(एफ-एच) सरकारों को चाहिए कि: (f) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और श्रम निरीक्षण तथा तंत्रों को मजबूत करना, यह सुनिश्चित करना कि पुनर्चक्रण में रोजगार संबंधों की मान्यता और प्रवर्तन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर भी लागू हो, तथा श्रम निरीक्षण के जनादेश और क्षमता का विस्तार करके एसएसई संस्थाओं, अनौपचारिक और अपंजीकृत क्षेत्रों को शामिल करना; (जी) नियोक्ताओं और श्रमिकों को संगठित होने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना; (h) औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए रणनीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना।	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पुनर्चक्रण कार्यकर्ता एसएसई संस्थाएं (स्पष्ट)	यह औपचारिकीकरण को संगठन और सामाजिक संवाद से जोड़ता है। यह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर श्रम निरीक्षण और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) को स्पष्ट रूप से लागू करता है, लेकिन उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनमें अनौपचारिक रोजगार संगठन काम करते हैं और श्रम मानकों का अनुपालन करने की कठिनाई, और कुछ अनौपचारिक श्रमिकों के संदर्भों में श्रम निरीक्षण की कठिनाई को भी नजरअंदाज करता है।
अनुच्छेद 68(i) पुनर्चक्रण में लगे सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक पहुंच सुनिश्चित करें और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को अधिक टिकाऊ, समावेशी और प्रभावी बनाएं, जैसा किऔपचारिकीकरण रणनीतियों के प्रवर्तक	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता अनौपचारिक श्रमिक (अप्रत्यक्ष रूप से)	औपचारिकीकरण सामाजिक सुरक्षा से पहले नहीं आता: वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के सामाजिक संरक्षण के अधिकार को मजबूत करें।

4. सामाजिक सुरक्षा, कार्य स्थितियों, व्यावसायिक सुरक्षा और हिंसा पर मानचित्रण अनुभाग		
अनुच्छेद 68(i) सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके, “पुनर्चक्रण में लगे सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक पहुंच सुनिश्चित करें और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को अधिक टिकाऊ, समावेशी और प्रभावी बनाएं।”	पुनर्चक्रण में लगे सभी कर्मचारी (स्पष्ट रूप से)	यह स्थापित करता है कि सामाजिक सुरक्षा इस पर निर्भर नहीं करती हैऔपचारिक रोजगार. यह सीधे तौर पर कचरा बीनने वालों, स्वरोजगार श्रमिकों और सहकारी समितियों के सदस्यों पर लागू होता है।
अनुच्छेद 138. पुनर्चक्रण में कल्याण और सुख-सुविधाओं की उपलब्धता में काफी भिन्नता है, लेकिन आम तौर पर बड़े प्रतिष्ठानों में औपचारिक रूप से कार्यरत श्रमिकों की स्थिति अनौपचारिक उद्यमों और सड़कों व कूड़े के ढेरों पर स्वयंसेवा करने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर होती है, जहाँ अक्सर ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। पुनर्चक्रण में लगे अधिकांश अनौपचारिक श्रमिकों को पर्याप्त कल्याण और सुख-सुविधाओं तक पहुँच नहीं है। कुछ पुनर्चक्रण श्रमिकों के लिए, रहने और काम करने की स्थितियाँ अविभाज्य हैं।	अनौपचारिक उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक और सड़कों और कचरा स्थलों पर स्वयंसेवा करने वाले श्रमिक (स्पष्ट)	यह उन विभिन्न श्रेणियों का जायजा लेता है जो कचरा बीनने वालों के संदर्भों और कार्य स्थितियों का वर्णन करती हैं।

अनुच्छेद 122 "अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पुनर्चक्रण की एक सामान्य विशेषता यह है कि संबंधित श्रमिकों और उस नियोक्ता के बीच प्रत्यक्ष रोजगार संबंध का अभाव होता है जिसके लिए वे काम करते हैं।"	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (स्पष्ट)	यह लेख कचरा बीनने वालों के प्रचलित श्रम मॉडल का सटीक वर्णन करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी आधारित श्रम के अलावा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उचित ठहराता है।
अनुच्छेद 126 “पुनर्चक्रण श्रमिकों के लिए, कुछ मूल्य श्रृंखलाओं में पुनर्चक्रण कार्य की अनियमितता, कम आय या नौकरी की आवश्यकताओं जैसे कारकों के कारण काम के घंटे अत्यधिक हो सकते हैं। कुछ कचरा बीनने वाले रात में काम करते हैं, जबकि कई अकेले और एकांत में काम करते हैं।”	कचरा बीनने वाले (स्पष्ट)	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) की कमी वाली विशिष्ट स्थितियों की शाब्दिक पहचान: रात्रि कार्य, या गैर-मानक घंटों के दौरान कार्य, अलगाव, अनियमित कार्य घंटे। विशेष नियामक एवं सुरक्षात्मक उपायों को उचित ठहराने का प्रत्यक्ष आधार।
अनुच्छेद 111 सरकारों को कर्मचारी संगठनों के परामर्श से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए: (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएसएच) नीतियों, कार्यक्रमों और प्रणालियों की स्थापना या उन्हें मजबूत करना जो राष्ट्रीयता, आयु, लिंग, विकलांगता या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना पुनर्चक्रण करने वाले सभी श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करें। (i) सभी अपशिष्ट एवं पुनर्चक्रण श्रमिकों के लिए पर्याप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना	सभी कर्मचारी पुनर्चक्रण कर रहे हैं (स्पष्ट रूप से) सभी अपशिष्ट एवं पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (स्पष्ट रूप से)	यह राज्य के दायित्व को सुदृढ़ करता है।

अनुच्छेद 143 "पुनर्चक्रण श्रमिकों में, लैंडफिल स्थलों और सड़कों पर काम करने वाले असंगठित और अनौपचारिक कचरा बीनने वाले विशेष रूप से हिंसा और उत्पीड़न के शिकार होते हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों, निजी सुरक्षा कर्मियों और आपराधिक समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा शामिल है।"	कचरा बीनने वाले (स्पष्ट) अनौपचारिक श्रमिक (स्पष्ट)	संरचनात्मक हिंसा की प्रत्यक्ष पहचान। इसमें संस्थागत और पुलिस हिंसा शामिल है। मानवाधिकारों की वकालत के लिए ठोस नियामक आधार।
अनुच्छेद 143 (जारी) "काम करते समय उन्हें गिरफ्तारी, सामग्री की जब्ती, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों का सामना करना पड़ सकता है।"	कचरा बीनने वाले (स्पष्ट)	यह उन विशिष्ट प्रथाओं को मान्यता देता है जिनकी ऐतिहासिक रूप से कचरा बीनने वाले आंदोलनों द्वारा निंदा की गई है।

5. सामाजिक संवाद और त्रिपक्षीयता अनुभाग का मानचित्रण

खंड 5 का प्रारंभिक अनुच्छेद पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था में उचित कार्य की दिशा में आम सहमति बनाने के लिए सामाजिक संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। मजबूत, स्वतंत्र और प्रभावी श्रम प्रशासन और निरीक्षणालय, साथ ही नियोक्ता और श्रमिक संगठन, सामाजिक संवाद को बढ़ावा देने, पुनर्चक्रण में उचित कार्य को प्रोत्साहित करने और व्यापक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (अप्रत्यक्ष रूप से)	पुनर्चक्रण क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क संगठन (आईएलओ) के पारंपरिक त्रिपक्षीय ढांचे में शामिल करता है। (सभी प्रकार की वार्ताओं के लिए) संस्थागत प्रक्रियाओं में अपशिष्ट संग्राहक संगठनों को शामिल करने का वैचारिक आधार: सामाजिक संवाद सम्मानजनक कार्य के अस्तित्व के लिए एक पूर्व शर्त है।
अनुच्छेद 73. “...उद्यम, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सौदेबाजी सहित सामाजिक संवाद, पुनर्चक्रण में सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों और संक्रमण द्वारा उत्पन्न अवसरों का आकलन करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका बेहतर प्रबंधन हो और यह सभी के लाभ के लिए काम करे...”		इसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों सहित पुनर्चक्रण कार्यकर्ता शामिल हैं, क्योंकि यह उद्यम, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संवाद को मान्यता देता है जो पुनर्चक्रण प्रणालियों की बहुस्तरीय संरचना को दर्शाता है जहाँ ये कार्यकर्ता काम करते हैं और संगठित होते हैं। सामाजिक संवाद (सामूहिक सौदेबाजी सहित) को परिवर्तन के प्रबंधन की कुंजी के रूप में स्वीकार करते हुए, यह स्थापित करता है कि पुनर्चक्रण में सम्मानजनक काम पुनर्चक्रण श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी और आवाज के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, जो उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाली नीतियों को

		आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अनुच्छेद 151 "पुनर्चक्रण में सामाजिक संवाद में पुनर्चक्रण श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पुनर्चक्रण श्रमिकों के संगठन, साथ ही नियोक्ताओं के संगठन और सरकारें शामिल हैं।"	पुनर्चक्रण कार्यकर्ता (स्पष्ट) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पुनर्चक्रण श्रमिकों के संगठनों सहित (स्पष्ट)	अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के संगठनों को प्रत्यक्ष मान्यता। यह सहकारी समितियों, संघों और नेटवर्कों को सामाजिक संवाद में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कर्ताओं के रूप में वैधता प्रदान करता है। विस्तार करता हैत्रिपक्षीय व्यवस्था का दायराऔपचारिक रोजगार से परे।
अनुच्छेद 161. सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके: (f) नीतियों को अनुकूलित और पुनर्रचना करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रम प्रशासन सेवाएं श्रमिकों की सभी श्रेणियों को कवर करें और सामूहिक श्रम संबंधों और सम्मानजनक कार्य के संबंध में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करें। इसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को औपचारिक रूप देने और गैर-मानक रोजगार रूपों में सेवाओं का क्रमिक विस्तार करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों के सबसे प्रतिनिधि संगठनों के साथ सामाजिक संवाद की क्षमता को मजबूत करना शामिल है।	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिक (स्पष्ट)	यह स्थापित करता है कि श्रम प्रशासन सेवाओं में श्रमिकों की सभी श्रेणियां शामिल होनी चाहिए, जिनमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और गैर-मानक प्रकार के रोजगार में कार्यरत लोग स्पष्ट रूप से शामिल हैं। इन श्रमिकों की विशिष्ट वास्तविकताओं और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नीतियों को अनुकूलित और पुनर्रचित करने की आवश्यकता को पहचानता है, और एकसमान नियामक दृष्टिकोण थोपने के बजाय प्रगतिशील औपचारिकीकरण का समर्थन करता है। यह सबसे प्रतिनिधि श्रमिक संगठनों के साथ सामाजिक संवाद को मजबूत करने के दायित्व को बल देता है, जिससे अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रमिकों के संगठनों को सम्मानजनक काम की प्राप्ति में संस्थागत वार्ताकार के रूप में वैधता प्राप्त होती है।

अनुच्छेद 106 सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके निम्नलिखित कार्य करने चाहिए: सी) यह सुनिश्चित करना कि पुनर्चक्रण से संबंधित सामाजिक संवाद और अन्य परामर्श प्रक्रियाएं कमजोर और जोखिमग्रस्त समूहों की भागीदारी का समर्थन करें, और सबसे अधिक प्रतिनिधि नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए जोखिमग्रस्त समूहों की क्षमता को मजबूत करें;	ऐसे समूह जो असुरक्षित और जोखिम में हैं (अप्रत्यक्ष रूप से कचरा बीनने वाले) सबसे अधिक प्रतिनिधि [...] श्रमिक संगठन	इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि पुनर्चक्रण में सामाजिक संवाद में न केवल स्थापित औपचारिक संस्थाओं को बल्कि कमजोर और जोखिमग्रस्त समूहों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। यह इस बात को स्वीकार करता है कि भागीदारी के लिए केवल औपचारिक निमंत्रण ही नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता होती है। यह सबसे अधिक प्रतिनिधि श्रमिक संगठनों के माध्यम से भागीदारी को निर्देशित करता है, जिससे अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रमिकों के संगठनों के लिए संस्थागत वैधता को सुदृढ़ किया जाता है।
अनुच्छेद 152. सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के साथ परामर्श करके निम्नलिखित कार्य करने चाहिए: क. इन दिशा-निर्देशों में शामिल अनुशंसाओं को लागू करते समय, नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक, और वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर से लेकर उद्यम स्तर तक, सभी चरणों में सामाजिक संवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और उसमें संलग्न होना।	)	यह कचरा बीनने वालों और उनके संगठनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह पैमाने और इस तथ्य को पहचानता है कि पुनर्चक्रण क्षेत्रीय रूप से संगठित होता है। यह नगरपालिका स्तर पर और क्षेत्रीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं में भागीदारी को सक्षम बनाता है।

अनुच्छेद 152. (ख) पुनर्चक्रण में नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों की स्थापना, विकास और प्रभावी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना, ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी सहभागिता और योगदान सुनिश्चित हो सके और पर्यावरणीय स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर न्यायसंगत परिवर्तन हो सके। इन नीतियों को पुनर्चक्रण की विशेष चुनौतियों का समाधान करना चाहिए और आउटसोर्स किए गए, अस्थायी और प्रवासी श्रमिकों, पुनर्चक्रण में नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के कानूनी और व्यावहारिक निहितार्थों को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए।	पुनर्चक्रण में लगे श्रमिकों (अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत लोगों सहित) के लिए संगठन [...] पुनर्चक्रण में नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठन (स्पष्ट)	यह सरकारों को पुनर्चक्रण में नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों के निर्माण, विकास और प्रभावी कामकाज का सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए बाध्य करता है, न कि केवल उन्हें मान्यता देने के लिए। यह इन संगठनों को सहभागी आवाज, सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर एक न्यायसंगत परिवर्तन से सीधे जोड़ता है। इसके लिए पुनर्चक्रण क्षेत्र की विशिष्ट संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने और इसकी विशिष्ट विशेषताओं को स्वीकार करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है। यह आउटसोर्स किए गए, अस्थायी और प्रवासी श्रमिकों के कानूनी और व्यावहारिक निहितार्थों पर स्पष्ट रूप से विचार करता है, और मानक रोजगार संबंधों से परे सुरक्षा का विस्तार करता है। यह पुनर्चक्रण श्रमिकों के संगठनों की संस्थागत वैधता को संक्रमण और विकास नीतियों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं के रूप में मजबूत करता है।

(ई) . नए सामाजिक संवाद तंत्र स्थापित करना, या मौजूदा तंत्रों को मजबूत करना, और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करना कि नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठन सभी स्तरों पर सामाजिक संवाद में वास्तविक रूप से शामिल हों। इस प्रकार की कार्रवाई में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नियोक्ता और श्रमिक न केवल अपनी पसंद के संगठनों के माध्यम से बाहरी रूप से शुरू किए गए प्रस्तावों में योगदान दे सकें, बल्कि सक्रिय रूप से भाग ले सकें और ऐसे उपाय, कार्यक्रम और गतिविधियाँ प्रस्तावित कर सकें जो उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को आकार दें। भागीदारी केवल परामर्श तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे पुनर्चक्रण श्रमिकों द्वारा और उनके लिए शुरू की गई पहलों का ठोस स्वामित्व सुनिश्चित होना चाहिए। वार्ताओं और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों और प्रक्रियाओं में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	श्रमिक संगठन (अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिकों के संगठनों सहित)	इसके लिए सरकारों को सभी स्तरों पर सामाजिक संवाद में नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जो केवल प्रतीकात्मक भागीदारी से आगे बढ़कर हो। यह इस बात की पुष्टि करता है कि पुनर्चक्रण कार्यकर्ताओं को न केवल बाहरी रूप से तैयार किए गए प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बल्कि नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को सक्रिय रूप से आकार भी देना चाहिए, जिससे वास्तविक स्वामित्व सुनिश्चित हो सके। यह समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देता है, और निर्णय लेने और बातचीत की प्रक्रियाओं में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित करता है।
जस्ट ट्रांज़िशन पर अनुभागों की मैपिंग		
अनुभाग 2.9 शीर्षक: रोजगार-समृद्ध चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर एक न्यायसंगत संक्रमण… अनुच्छेद 69. एक न्यायसंगत परिवर्तन समावेशी तरीके से जलवायु और पर्यावरण संबंधी	किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना (अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिकों सहित)	"रोजगार-समृद्ध" शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चक्रीय अर्थव्यवस्था को अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका अर्थ है कि पर्यावरणीय परिवर्तन से आजीविका का सृजन और

कार्यों के सामाजिक और आर्थिक अवसरों को अधिकतम करता है, जिसमें सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा करना, असमानता को कम करना और किसी को भी पीछे न छोड़ना शामिल है।		विस्तार होना चाहिए, न कि कचरा बीनने वालों द्वारा किए जा रहे मौजूदा रोजगारों को समाप्त करना। "किसी को पीछे न छोड़ना" स्पष्ट रूप से समावेश के सिद्धांत में परिवर्तन को स्थापित करता है, जो पुनर्चक्रण उद्योग में अनौपचारिक श्रमिकों को विस्थापन से सीधे तौर पर बचाता है और जलवायु और चक्रीय अर्थव्यवस्था नीतियों के लाभों में एकीकृत होने के उनके अधिकार की पुष्टि करता है।
अनुच्छेद 72. सभी के लिए एक न्यायसंगत संक्रमण ढांचा प्रदान करने और अधिक सम्मानजनक नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए सुसंगत नीतियों में उपयुक्त रूप से निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: रोजगार पर प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना, नौकरी छूटने और विस्थापन के लिए पर्याप्त और टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और सामाजिक संवाद, जिसमें संगठित होने और सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने के अधिकार का प्रभावी प्रयोग शामिल है।	पुनर्चक्रण क्षेत्र के श्रमिकों, जिनमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह अनुच्छेद संक्रमणकालीन नीतियों से प्रभावित "सभी" श्रमिकों पर लागू होता है और इसमें स्पष्ट रूप से नौकरी छूटने, विस्थापन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संवाद जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है, जो सभी लैंडफिल बंद होने और अपशिष्ट प्रणाली सुधारों से सीधे तौर पर संबंधित हैं।	यह पुनर्चक्रण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए सरकारों को रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान लगाना, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास प्रदान करना और ऐसी नीतियों को लागू करने से पहले सार्थक सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना आवश्यक है जो अन्यथा उन्हें विस्थापित या बहिष्कृत कर सकती हैं।